आदेश अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

मु0नं0 205/20

निर्णय दिनांकः—01.02.2021

सत्यवीर पुत्र श्री गिरधारी
जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

——————— प्रार्थी

बनाम

1. मरवण पत्नी बजरंग जाति जाट निवासी धींधवा आथूणा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

——————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ढ़ाणी श्योराणी की सरहद में भूमि ख0न0 188 रकबा 1.70 है0 प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे आवेदक व अन्य खातेदारान कुआ व मकान बनाकर आबाद है जिसमें आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया है जिसमें मार्ग क,ख,ग से दर्शित रास्ता अनावेदक न0 1 की भूमि खसरा न0 436 रकबा 2.42 है0 स्थित ग्राम धीधवा आथूणा जो प्रार्थी के उत्तरी दिशा में लगती है में से 12 फिट चौड़ा रास्ता धीधवा से ढ़ाणी श्योराणी को जाने वाले कटानी रास्ते तक नया रास्ता कायम करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आवेदन पत्र पेश किया।

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर तारीख की सूचना दी गई बावजूद तामिल अप्रार्थी की और से कोई हाजिर नहीं आया उनके विरूद्व एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई तथा तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के मुताबिक आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा उनके खेत में आने जाने हेतु अन्य को[illegible]क रास्ते का विकल्प नहीं है ना ही कटानी रास्ता है। तथा अन्य [illegible] में कोई कम [illegible] नहीं है। भूमि ख.नं. 436 रकबा 2.42 है0 वाके मौजा धीं[illegible] 140 [illegible] लम्बाई व 4 मीटर चौड़ा कुल क्षेत्रफल 560 वर्गमीटर/0.0560 है0 भूमि का रास्ता [illegible]म करने हेतु तहसीलदार की ओर से अभिशंषा की गई है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा भी दर्शाया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकार अधिनयम के तहत पूर्णतय पोषणीय होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा आवेदक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2021/33 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता निकटम दूरी का है व इसके अलावा उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिए प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 188 वाके मौजा ढ़ाणी श्योराणी में आवागमन हेतु अनावेदक न0 1 की भूमि ख.नं. 436 रकबा 2.42 है0 वाके मौजा धींधवा आथुणा की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा कमांक राजस्व/2021/33 दिनांक 25.01.2021 के मुताबिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि आवेदक से वसूल कर संबंधित खातेदार को अदा करें तत्पश्चात रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रास्ते का रकबा पृथक से कायम करें। रास्ता मौके पर खुलवाया जावे। रास्ते में स्थित पेड़ वगैरह को हटवाये जाने का हर्जा खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/21/33 दिनांक 25.01.2021 निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 01.02.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner